

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 918/2024  
अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।

- वादी

**बनाम्**

1. गोमती पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
2. राकेश सहू पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
3. कमला देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
4. राजबाला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
5. शारदा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 18/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता सं0 82/71 की कुल 9.1710 हैक्ट बेगराज पुत्र मुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगराज पुत्र मुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। बेगराज पुत्र मुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है। बेगराज पुत्र मुलाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी का पिता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 ने उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इन्होंने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद



*Ca*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ललानिया सम्वत 2076-79 खाता स0 82/71, मृत्यु प्रमाण पत्र बेगराज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगराज पुत्र मुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। बेगराज पुत्र मुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है। बेगराज पुत्र मुलाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी का पिता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 ने उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इन्होंने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 82/71 की कुल 9.1710 हैक्ट बेगराज पुत्र मुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगराज पुत्र मुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। बेगराज पुत्र मुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है। बेगराज पुत्र मुलाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी का पिता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 ने उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इन्होंने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के

अलावा मृतक बेगराज के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 82/71 की कुल 9.1710 हैक्ट बेगराज पुत्र मुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में बेगराज पुत्र मुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 918/2024

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. गोमती पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
2. राकेश सहू पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
3. कमला देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
4. राजबाला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
5. शारदा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 918 सन 2024 निर्णय दिनांक -18/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 82/71 की कुल 9.1710 हैक्ट बेगराज पुत्र मुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में बेगराज पुत्र मुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर